संगम ज्ञापन
तथा नियम और विनियम
एवं उपनियम

MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES AND REGULATIONS AND BYE-LAWS

20 सितम्बर 2022 तक संशोधित

As amended up to 20 September 2022

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
राष्ट्रपति निवास, शिमला–171005
INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
RASHTRAPATI NIVAS, SHIMLA-171005

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–21 (पंजाब संशोधित अधिनियम 1957) जो कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है, के अंतर्गत जारी।

सं. एस 2587, 1964–1965

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज के दिन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–21 जो कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है के अंतर्गत पंजीकृत की जाती है।

छः अक्तूबर उन्नीस सौ चौंसठ को दिल्ली में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित।

जमा शुल्क 50/– रूपए

हस्ता./–

एम. जुबेर
सोसायटी रजिस्ट्रार, दिल्ली
सोसायटी रजिस्ट्रार, दिल्ली की मोहर

*विवाद और विधिक मामलों में संगम–ज्ञापन का मूल अंग्रेजी रूप ही मान्य होगा।

अनुक्रम

1. संगम ज्ञापन 7

2. नियम और विनियम 14

3. उपनियम 28

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
सोसायटी

साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ समितियों के पंजीकरण के अंतर्गत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (वर्ष 1860 का अधिनियम 21) के मामले में,

और

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के मामले में।

संगम ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (इसके बाद सोसायटी के रूप में संदर्भित) होगा।
2. सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय शिमला में स्थित होगा।
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–
   (i) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन करना, जो मौलिक विषयों तथा जीवन व विचार की समस्याओं के स्वतंत्र और रचनात्मक अन्वेशण के लिए एक आवासीय केंद्र होगा। संस्थान के कार्य इस प्रकार होंगे–
   (क) गहन मानवीय महत्व वाले क्षेत्रों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और अकादमिक शोध के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के चयनित विषयों में उच्च शोधकार्य करना, व्यवस्थित करना, मार्गदर्शन करना और बढ़ावा देना, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी शोधकार्य करना जिन्हें समय–समय पर संस्थान उचित समझे। इन विषयों के चयन में, राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जहां भी संभव हो, चयन से पहले संबंधित सरकारी विभागों, अनुसंधान संगठनों आदि के साथ उचित परामर्श किया जाएगा। गतिविधियों के क्षेत्रों, अध्ययन के क्षेत्रों तथा शोध विषयों की उदाहरण स्वरूप सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है जोकि संपूर्ण नहीं है;
   (ख) उच्च परामर्श व सहयोग तथा संपूर्ण पुस्तकालय और प्रलेखन की सुविधाएं प्रदान करना;
   (ग) प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए शिक्षकों और अन्य विद्वानों को उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता सहित सभी सुविधाएं प्रदान करना;
   (घ) बैठकें, व्याख्यान, संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना। शिमला में हर साल तीन संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी जिनमें एक संस्थान में हुए शोधकार्यों के परिणामों को लेकर विचार–विमर्श और चर्चा पर आधारित होगी, दूसरी संगोष्ठी संस्थान की भावी शोध

परियोजनाओं के बारे में विचार उत्पन्न करने और दिशा प्रदान करने के लिए और तीसरी संगोष्ठी 'राष्ट्रीय एकता' विषय पर आधारित होगी;

(ङ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन स्कूलों और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना जो संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(च) व्याख्यान देने या शोध करने के लिए भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को आमंत्रित करना और उन्हें ऐसा पारिश्रमिक देना जो उपयुक्त समझा जाए;

(छ) किसी भी पत्रिका, सामयिक पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, पैम्फलेट, मोनोग्राफ या पोस्टर को शुरू करना, संचालित करना, मुद्रित करना, प्रकाशित करना और प्रदर्शित करना जो कि सोसायटी के लक्ष्यों के प्रचार के लिए वांछनीय माने जा सकते हैं। संस्थान को अपने प्रकाशनों का चुनाव करना होगा और प्रकाशन ऐसे हों जिनसे संस्थान की पहचान में वृद्धि हो;

(ii) शोध परिणामों के संयोजन की व्यवस्था करना ताकि आम जनता, विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए उनकी सामाजिक प्रासंगिकता सिद्ध हो;

(ज) ज्ञान के प्रसार और सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और विद्वानों या सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना;

(झ) नियमों और उप–नियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, वजीफा, छात्रवृतियाँ तथा ऋण, मौद्रिक सहायता व पुरस्कारों का निर्धारण करना;

(ञ) नियमों और उप–नियमों के अनुसार कोई शुल्क या प्रभार लगाना;

(ट) विद्वानों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के रहने के लिए सभागृहों और छात्रावासों की स्थापना, रखरखाव और उनका प्रबंधन करना और;

(ठ) अकादमिक, प्रशासनिक, तकनीकी सेवा संबंधी और संस्थान द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य पदों का सृजन करना और नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार उन पदों पर नियुक्तियां करना।

(ii) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य संस्थान या संघ का कार्यभार ग्रहण करना जिनका पूरी तरह या आंशिक रूप से संस्थान के समान उद्देश्य हो;

(iii) सोसायटी और संस्थान से संबंधित मामलों के संचालन के लिए नियम और उपनियम बनाना और समय–समय पर उनमें कुछ नया जोड़ना संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना;

(iv) सोसायटी के उद्देश्य के लिए सरकारों, निगमों, ट्रस्टों या किसी भी व्यक्ति से अनुदान, सदस्यता, दान, उपहार प्राप्त करना या स्वीकार करना;

(v) एक निधि का रखरखाव रखना, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे–

(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी प्रकार की धनराशि;

(ख) सोसायटी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य शुल्क;

(ग) सोसायटी द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि, उपहार, दान, उपकार, वसीयत या हस्तांतरण आदि तथा

(घ) सोसायटी द्वारा किसी अन्य तरीके से प्राप्त सभी तरह की धनराशि।

(vi) सोसायटी द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी के उपरांत निधि में जमा की गई सभी प्रकार की धनराशि को बैंक में जमा करवाना या उस धनराशि को निवेश करने का निर्णय लेना;

(vii) बैंक चैकों का आहरण, उन्हें तैयार करना, स्वीकार करना, परांकित करना और छूट देना, नोट या अन्य परक्राम्य लिखत और इस उद्देश्य के लिए, इस तरह के आश्वासनों और दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित और वितरित करना, जो भी सोसायटी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

(viii) सोसायटी से संबंधित धनराशि या बाहर से इस तरह की निधि के किसी विशेष भाग का भुगतान करना जिसमें समय–समय पर सोसायटी द्वारा किए गए खर्च, जिसमें सोसायटी के गठन तथा किसी भी पूर्वगामी वस्तुओं का प्रबंधन और प्रशासन के लिए प्रासंगिक सभी खर्च जिसमें सभी किराए, दरें, कर, निर्गामी और कर्मचारियों का वेतन आदि शामिल हैं;

(ix) बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव करना तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तुलन–पत्रों सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करना;

(x) केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सोसायटी और संस्थान के खातों का लेखा परीक्षण और इसका वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना। सोसायटी के खातों को सनदी लेखाकारों द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो और उसके साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी संलग्न हो;

(xi) (क) सोसायटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सेवानिवृत्ति योजनाओं को स्थापित करना और बनाए रखना;

(ख) सोसायटी के शिक्षकों, अधिकारीगण और अन्य कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों, उनके बच्चों या अन्य आश्रितों को धर्मार्थ सहायता देना;

(ग) सोसायटी के प्रयोजनों के लिए किसी भी तरह से संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, निपटान और अन्यथा सौदा करने के लिए बशर्ते कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हो;

(घ) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर, सोसायटी से संबंधित सभी या किसी भी अचल संपत्ति पर किसी भी बंधक, प्रभार, दृष्टिबंधक या गिरवी की सुरक्षा पर या उसके बिना या सोसायटी के उद्देश्य के लिए किसी अन्य तरीके से ऋण लेना अथवा धन जुटाना;

(ङ) कार्यालयों, आवासों, छात्रावासों, विद्यालयों या अन्य भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करना और किसी भी मौजूदा भवन सहित उसे बदलना, बढ़ाना, सुधारना, मरम्मत करना, विस्तार करना या संशोधित करना और उसे प्रकाश, पानी, जल निकासी, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण और साधन और अन्य सामान सहित सुसज्जित करने की व्यवस्था करना और सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन भवनों को प्रयोग में लाना; और

(च) सोसायटी से संबंधित या अधिग्रहण की गई भूमि पर निर्माण करना या अन्यथा अधिग्रहण, रूपरेखा बनाना, मरम्मत करना विस्तार करना, किसी भी भूमि, मनोरंजन या खेल के मैदानों, पार्कों या किसी अन्य अचल संपत्ति को बदलना, बढ़ाना, सुधारना और उसका प्रयोग करना।

(xii) सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समितियों या उप–समितियों का गठन करना;

(xiii) अपनी किसी या सभी शक्तियों को शासी निकाय या उसके द्वारा गठित अन्य समितियों या उप–समितियों को सौंपना;

(xiv) सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऐसे सभी वैध कार्य करना और साधन जुटाना जो पूर्वोक्त शक्तियों के लिए आकस्मिक हों या नहीं;

4. (क) संस्थान द्वारा सोसायटी की ओर से आयोजित सभी अध्ययन एवं अन्य कार्यक्रमों में किसी भी लिंग, श्रेणी, धर्म, समुदाय, जाति या वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं और सदस्यों, विद्वानों, शिक्षकों, कामगारों या किसी भी अन्य संबंध में किसी भी प्रकार की भर्ती या नियुक्ति में धार्मिक विश्वास या पेशे के संबंध में कोई छानबीन नहीं की जाएगी या शर्त नहीं लगाई जाएगी; तथा

(ख) सोसायटी द्वारा कोई भी उपकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें उसकी राय में, सोसायटी की भावना और उद्देश्यों के विपरीत शर्तों या दायित्वों को शामिल किया गया हो।

5. केंद्र सरकार सोसायटी और संस्थान की कार्य–प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जांच करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करें। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो रिपोर्ट

में सुझाए गए किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे गए हों और सोसायटी या संस्थान, जो भी हो, उन निर्देशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे;

6. केंद्र सरकार, सोसायटी या संस्थान को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें वह सोसायटी या संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उनके उचित और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे;

7. सोसायटी के पास जो भी आय और संपत्ति हो, उसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर लागू शर्तों या सीमाओं के अंतर्गत इस संगम–ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों के प्रचार के लिए प्रयोग किया जाएगा। सोसायटी की आय और संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के रूप में, उन व्यक्तियों को भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी समय सोसायटी, शासी निकाय के सदस्य हैं या रहे हैं या उनमें से कोई या उनके या उनमें से किसी के माध्यम से यह दावा करे कि ऐसा कुछ भी नहीं जो सोसायटी को प्रदान की गई किसी भी सेवाओं के बदले में किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक या किसी भत्ते या इस तरह के शुल्क पर रोक लगा दी जाएगी।

8. सोसायटी के शासी निकाय के प्रथम सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन्हें सोसायटी के नियमों और विनियमों के अंतर्गत उसके मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है–

क्रमांक	नाम	पता	स्थिति
1.	श्री एम.सी. छागला	शिक्षा मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	डॉ. सी.डी. देशमुख	कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	प्रोफेसर के.जी. सैयदीन	320 डी–11, पंडारा रोड़, नई दिल्ली	सदस्य
4.	डॉ. वी राघवन	संस्कृत प्राध्यापक़, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	सदस्य
5.	डॉ. नगेन्द्र	प्राध्यापक एवं प्रमुख, हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
6.	श्री पी.एन. किरपाल	सचिव (शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

9. शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सोसायटी के नियमों की एक

प्रमाणित प्रतिलिपि संगम–ज्ञापन के साथ संलग्न की जाती है।

10. हम सभी सदस्य जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं इस संगम–ज्ञापन में निहित उद्देश्य से संबद्ध होते हुए, इस संज्ञम–ज्ञापन के प्रति अपनी सदस्यता ग्रहण करते हैं और आज 6 अक्तूबर 1964 को सोसायटी अधिनियम 21 (1860) के अंतर्गत अपने हस्ताक्षर से एक सोसायटी की स्थापना करते हैं।

क्रमांक	सदस्यों का नाम, पता व व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर	गवाहों के नाम, पता व व्यवसाय	गवाहों के हस्ताक्षर
1.	श्री एम.सी. छागला शिक्षा मंत्री	हस्ता./– एम.सी. छागला	श्री डी.के. हिंगोरानी शिक्षा मंत्री के उच्च शैक्षणिक सलाहकार	हस्ता./– डी.के. हिंगोरानी
2.	डॉ. डी.एस. कोठारी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	हस्ता./– डी.एस. कोठारी	यथोपरि	यथोपरि
3.	डॉ. सी.डी. देशमुख कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	हस्ता./– सी.डी. देशमुख	यथोपरि	यथोपरि
4.	डॉ. गोपाल सिंह सांसद, राज्य सभा	हस्ता./– गोपाल सिंह	यथोपरि	यथोपरि
5.	डॉ. ए.सी जोशी कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय,	हस्ता./– ए.सी जोशी	यथोपरि	यथोपरि
6.	डॉ. पी.के. केल्कर निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	हस्ता./– पी.के. केल्कर	यथोपरि	यथोपरि
7.	श्री पी.एन. किरपाल सचिव (शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	हस्ता./– प्रेम किरपाल	यथोपरि	यथोपरि

परिशिष्ट– संस्थान के संगम–ज्ञापन 1 से अधिनियम 3(i) (क) तक गतिविधियों के क्षेत्र

(क) शोध के क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो अंतर्विद्यात्मक अनुसंधान का उन्नयन करें।
(ख) अनुसंधान की विषय–वस्तु गहन मानवीय महत्त्व की होनी चाहिए।
(ग) शोध की विषय–वस्तु उनसे संबंधित होनी चाहिए जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता हो मगर ज्यादा महंगी भी न हो।
(घ) शोध मुख्यतः उन क्षेत्रों में होना चाहिए जिनमें प्रख्यात विद्वानों को आकर्षित किया जा सके। इसका एक उद्देश्य अंतर्विद्यात्मक अनुसंधान के लिए प्रणाली संबंधी रूपरेखा का विकास करना तथा दूसरा उत्पादन के स्तर की ग्रहणीयता सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में अधिक क्षेत्रों में ऐसे प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जा सके। शोध परियोजनाओं के चयन के समय राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी संभव हो विषय–वस्तु के निर्धारण में सरकारी विभागों, शोध संस्थानों आदि से उचित विचार–विमर्श करना चाहिए। जैसे भी प्रत्येक शोध परियोजना के निश्चित समय सीमा होनी चाहिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में परियोजना की समयावधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। परिणामस्वरूप इन शोध परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए।

अध्ययन के क्षेत्र

(क) सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक दर्शन,
(ख) तुलनात्मक भारतीय साहित्य (जिसमें प्राचीन मध्यकालीन, आधुनिक, लोक और आदिवासी–साहित्य भी हो),
(ग) दर्शन और धर्म का तुलनात्मक अध्ययन,
(घ) शिक्षा, संस्कृति और कला, जिसमें निष्पादन कलाएँ और हस्तशिल्प भी हों,
(ड) तर्क और गणित की मौलिक अवधारणाएँ और समस्याएँ
(च) प्राकृतिक और सामाजिक (जीवन) विज्ञानों की मौलिक अवधारणाएँ और समस्याएँ,
(छ) प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन,
(ज) एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय सभ्यता, और
(झ) राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में समसामयिक भारत की समस्याएँ।

निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए–

(क) अनेकता में भारतीय एकता का विषय;
(ख) भारतीय चेतना की अनिवार्यता;

(ग) भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में शिक्षा का दर्शन;
(घ) प्राकृतिक विज्ञानों में उच्च अवधारणाएँ और उनकी दार्शनिक आशय;
(ड) विज्ञान और अध्यात्म के संश्लेषण में भारत और एशिया का योगदान,
(च) भारतीय मानव एकता,
(छ) भारतीय साहित्य एक परिचय,
(ज) भारतीय महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन,
(झ) मानव पर्यावरण।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के नियम तथा विनियम

1. लघु शीर्षक : ये नियम तथा विनियम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के नियम कहलाएंगे।
2. परिभाषा– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (i) सोसायटी से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन की सोसायटी से है।
   (ii) शासी निकाय का अर्थ होगा संस्थान की शासी निकाय जिसे नियम 25 के तहत गठित किया जाएगा।
   (iii) संस्थान से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से होगा।
   (iv) अध्यक्ष से अभिप्रायः सोसायटी के अध्यक्ष होगा तथा उपाध्यक्ष का सोसायटी के उपाध्यक्ष से होगा।
   (v) अध्यक्ष से अभिप्रायः शासी निकाय के अध्यक्ष से है; उपाध्यक्ष से अभिप्रायः शासी निकाय से उपाध्यक्ष से होगा।
   (vi) निदेशक से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक से होगा।
   (vii) सचिव से अभिप्रायः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के सचिव से होगा।
3. (क) सोसायटी में निम्नलिखित संस्थागत सदस्य (पदेन) शामिल होंगे–
   (i) शिक्षा सचिव;
   (ii) व्यय सचिव;
   (iii) शैक्षिक सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी;
   (iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
   (v) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद अनुसंधान;
   (vi) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद अनुसंधान;
   (vii) अध्यक्ष, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद;
   (viii) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद;
   (ix) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास;
   (x) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी
   (xi) अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी;

(xii) अध्यक्ष, ललित कला अकादमी;
(xiii) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी;
(xiv) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से एक उपाध्यक्ष;
(xv) अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ;
(xvi) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय;
(xvii) निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार; तथा
(xviii) राज्य का मुख्य सचिव, जहाँ संस्थान स्थित है, या उसका अधिकृत प्रतिनिधि।

(ख) मनोनीत सदस्य
(i) केंद्र सरकार द्वारा नामित भारतीय विश्वविद्यालयों के छः कुलपति; तथा
(ii) केंद्र सरकार द्वारा नामित 18 से 24 शिक्षाविद और जो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं।

(ग) संस्थान के प्रतिनिधि
(i) निदेशक;
(ii) तत्कालीन अध्ययनरत सभी अध्येता;
(iii) तत्कालीन पदासीन सभी विशिष्ट अतिथि; तथा
(iv) सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा सोसायटी के सदस्यों में से नामित किया जाएगा।

4. नियम 3 (बी) और 3 (सी) के अंतर्गत नियुक्त किए गए सदस्यों के अलावा सोसायटी का कोई अन्य सदस्य सोसायटी, या इसके किसी भी निकाय या समितियों की किसी भी बैठक में भाग न ले सकता हो तो वह बैठक में अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने और अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। सोसायटी के ऐसे प्रतिनिधि के पास सोसायटी के सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, जिसमें बैठक के दौरान वोट देने का अधिकार भी शामिल है।

5. सोसायटी अपने सदस्यों के लिए एक हाजिरी रजिस्टर रखेगी और सोसायटी का प्रत्येक सदस्य की सोसायटी उसमें हस्ताक्षर करेगा और उसमें वह अपना नाम, व्यवसाय और पता भी दर्ज करेगा।

6. यदि सोसायटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह सचिव को अपने नए पते के बारे में सूचित करेगा और जो सदस्यों की नामावली में उसका नया पता दर्ज करेगा। लेकिन यदि वह अपना नया पता सूचित करने में विफल रहता है, तो सदस्यों की नामावली में पता उसका पता माना जाएगा।

7. यदि कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सोसायटी का सदस्य बन जाता है, तो उस पद या नियुक्ति की समाप्ति पर सोसायटी से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अन्य सदस्य तीन साल के लिए पद पर रहेंगे।

सभी निवर्तमान सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

*(क) सोसायटी अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर लंबित कार्यों को पूरा करना जारी रखेगी जब तक भारत सरकार द्वारा नई सोसायटी का गठन नहीं किया जाता

8. सोसायटी का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि–

(क) वह मर जाता है, त्याग–पत्र दे देता है, मानसिक रोगी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता के किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या

(ख) अध्यक्ष की अनुमति के बिना वह लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है

(ग) निदेशक के अलावा कोई भी सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है।

(घ) जिस प्राधिकारी ने उसे चुना है वह उसकी सदस्यता समाप्त कर देता है।

9. (क) सोसायटी की सदस्यता का त्यागपत्र सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे सोसायटी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उपरोक्त कारणों में से किसी भी कारण से यदि रिक्त सदस्यता को भरा जाता है, तो वह नियम 3 के अंतर्गत भरी जाएगी और नव मनोनीत सदस्य केवल बचे हुए कार्यकाल के ही सदस्य होगा।

(ख) सोसायटी का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष केन्द्र सरकार को अपना त्याग–पत्र दे सकता है और त्याग–पत्र उस दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है।

10. सोसायटी किसी भी रिक्ति के बावजूद और इसके किसी सदस्य की नियुक्ति या नामांकन में किसी त्रुटि के होते हुए भी कार्य करेगी। सोसायटी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के होने या उसके सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण अमान्य नहीं होगी।

सोसायटी के प्राधिकारी

11. सोसायटी के निम्नलिखित अधिकारी होंगे–

(i) शासी निकाय;

(ii) शासी निकाय के अध्यक्ष;

---

* भारत सरकार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एफ.6.30/2002/यू.3, दिनांक 20.12.2002 के अंतर्गत अनुमोदित।

(iii) शासी निकाय के उपाध्यक्ष;

(iv) निदेशक;

(v) संस्थान का सचिव, सोसायटी का सचिव होगा और वह प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा।

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो शासी निकाय द्वारा गठित किए जा सकते हैं।

12. सोसायटी तथा संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी निदेशक होगा।

13. निदेशक के अलावा सचिव तथा समय–समय पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए अन्य अधिकारी सोसायटी के अधिकारी होंगे।

14. *(क) **निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया**

1. निदेशक की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी। निदेशक का चयन खोजबीन–सह–चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी–

(i) अध्यक्ष, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

(ii) शासी निकाय द्वारा शासी निकाय की श्रेणी संख्या 25 (क) (5) में से एक नामित पदेन सदस्य।

(iii) शासी निकाय द्वारा सोसायटी की श्रेणी संख्या 3(ख)(2) में से एक नामित सदस्य।

(iv) केंद्र सरकार द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित सदस्य।

(v) सरकार का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार के सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो।

खोजबीन–सह–चयन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन सरकार स्वीकृति के अधार पर होगा।

यह समिति तीन नामों की एक सूची तैयार करेगी और उसे केंद्र सरकार को सौंपेगी। सरकार द्वारा उक्त सूची में अनुशंसित नामों में से एक को मंजूरी प्रदान की जाएगी या चयन समिति से एक नई सूची मांगी जाएगी।

निदेशक के चयन की प्रक्रिया रिक्ति होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू हो जाएगी। अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, रिक्ति होने के एक महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा खोजबीन समिति के गठन के लिए सोसायटी और शासी निकाय के प्रतिनिधियों को सरकार के पास भेजने के साथ चयन प्रक्रिया आरंभ होगी। निदेशक का पद रिक्त होने की स्थिति में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

---

* उच्चत्तर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या : एफ.सं. 6–6/2014–यू.3, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के तहत अनुमोदित।

के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा।

2. निदेशक के पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे फिर से तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पैंसठ वर्ष की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(ख) *सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया

केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत शासी निकाय द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाएगी। सचिव का चयन खोजबीन–सह–चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी–

(i) निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

(ii) बाह्य विशेषज्ञ के रूप में दो सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे।

(iii) संस्थान की शासी निकाय का एक सदस्य, जिसे शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।

(iv) सरकार का एक प्रतिनिधि जो अतिरिक्त सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो।

(v) खोजबीन–सह–चयन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन सरकार के अनुमोदन के अनुसार होगा।

समिति तीन नामों की एक सूची तैयार कर उसे शासी निकाय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष की ओर से उक्त सूची को केंद्र सरकार को अग्रेषित की जाएगी। सरकार द्वारा सूची में अनुशंसित नामों में से एक को मंजूरी प्रदान की जाएगी या खोजबीन–सह–चयन समिति की ओर से एक नई सूची मांगी जाएगी।

सचिव के चयन की चयन की प्रक्रिया रिक्ति होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू हो जाएगी। अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, रिक्ति होने के एक महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा खोजबीन समिति के गठन के लिए सोसायटी और शासी निकाय के प्रतिनिधियों को सरकार के पास भेजने के साथ चयन प्रक्रिया आरंभ होगी। सचिव का पद रिक्त होने की स्थिति में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा।

---

* उच्चत्तर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या : एफ.सं. 6–6/2014–यू.3, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के तहत अनुमोदित।

(ग) उपर्युक्त अधिकारियों को समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

15. सोसायटी का कार्यालय राष्ट्रपति निवास, शिमला में होगा।

सोसायटी की कार्यवाही

16. (i) सोसायटी की वार्षिक आम बैठक का समय, तिथि तथा स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ii) जब भी अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उचित समझें सोसायटी की बैठक बुलाई जा सकती है।

(iii) यदि कम से कम बीस सदस्य बैठक का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लिखित में दें तो अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा सोसायटी की बैठक बुलाई जा सकती है।

17. इन नियमों में यथा उपबंधित को छोड़कर, समिति की समस्त बैठकें सचिव की हस्ताक्षरित सूचना द्वारा बुलायी जाएंगी।

18. सोसायटी की बैठक बुलाए जाने के संदर्भ में जारी की जाने वाली प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय व स्थान का उल्लेख होना चाहिए और बैठक आयोजित होने से कम से कम 20 दिन पूर्व इसकी सूचना सोसायटी के सभी सदस्यों को दी जानी चाहिए। अध्यक्ष अथवा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा यदि उचित समझा जाए तो अल्प सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है, जिसका कारण दर्ज होना चाहिए।

19. सोसायटी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, यदि दोनों ही उपस्थित न हों तो बैठक में उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकता है।

20. सोसायटी के 20 व उससे अधिक सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति या नियम 4 के अंतर्गत उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सोसायटी की प्रत्येक बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है।

21. (क) सभी विवादित मामलों का निपटारा मतदान द्वारा किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य समेत प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। यदि सोसायटी द्वारा निपटाए जाने के किसी मामले में मतों की समानता पाई जाती है तो अध्यक्षता करने वाला सदस्य अतिरिक्त मतदान कर सकता है।

(ख) सोसायटी द्वारा संपादित किया जाने वाले कोई भी आवश्यक कार्य सभी सदस्यों के बीच संचलन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और सदस्यों के बहुमत से हस्ताक्षरित कोई भी संकल्प/प्रस्ताव प्रभावी और बाध्यकारी होगा, यदि ऐसा प्रस्ताव

सोसायटी की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि उस प्रस्ताव पर सोसायटी के कम से कम बारह सदस्यों ने अपने विचार दर्ज किए हों।

22. सचिव सोसायटी की बैठक के कार्यवृत का अभिलेख रखेगा और उसकी प्रतिलिपि केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजनी होगी।

23. सोसायटी के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर या सदस्यों की सूची में दिए गए पते पर डाक द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है।

24. डाक द्वारा प्रेशित कोई भी ऐसा नोटिस पत्र, लिफाफे या किसी अन्य आवरण से भेजे जाने के दिन से अगले दो दिनों में मान लिया जाएगा कि उक्त नोटिस संबंधित सदस्य तक पहुंच गया होगा और यह साबित करने के लिए प्रर्याप्त होगा कि जिस बंद लिफाफे में उक्त नोटिस भेजा गया है उस पर सही पता लिखा गया था और उसे डाकघर में डाक से भेजने के लिए पहुँचा दिया गया था।

शासी निकाय

25. (क) सोसायटी के नियमों तथा विनियमों, उप–नियमों तथा कार्यविधि के अंतर्गत, सोसायटी के मामलों को एक शासी निकाय द्वारा प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाएगा। 1860 के अधिनियम XXI के प्रयोजनों के लिए सोसायटी के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(i) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष जोकि एक प्रतिष्ठित विद्वान हो;

(ii) संस्थान का निदेशक;

(iii) शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का एक–एक प्रतिनिधि, जो कम से कम संयुक्त सचिव पर आसीन हो;

(iv) पांच निम्नलिखित संस्थागत सदस्य–

(क) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(ख) अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

(ग) अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

(घ) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(ङ) अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

शासी निकाय की बैठकों में इन संस्थागत मनोनीत सदस्यों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं।

(v) सोसायटी के सदस्यों की श्रेणी 3(बी) (i) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित दो कुलपति।

(vi) (क) सोसायटी के सदस्यों की श्रेणी 3(बी)(ii) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित चार सदस्य।

(ख) शासी निकाय के उपाध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा शासी निकाय के सदस्यों में से किया जाएगा।

26. सचिव, शासी निकाय का गैर–सदस्य सचिव होगा।

27. इस संदर्भ में यह प्रावधान है कि शासी निकाय के सदस्यों का कार्यकाल एक बार में तीन वर्ष का होगा।

*(क) जब तक भारत सरकार द्वारा नए शासी निकाय का पुनर्गठन नहीं किया जाए, पूर्व में गठित शासी निकाय अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी कार्य करना जारी रखेगा।

28. शासी निकाय के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि–

(क) वह मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या किसी नैतिक भ्रष्टाचार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;

(ख) वह शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की उचित अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे;

(ग) सोसायटी में से नामित सदस्य होने के नाते, वह सोसायटी का सदस्य न रहे; या

(घ) कार्यालय या नियुक्ति के कारण सदस्य होने के नाते वह उस पद अथवा नियुक्ति ग्रहण या समाप्त करता है

29. शासी निकाय की सदस्यता से त्यागपत्र सचिव को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे संस्थान की ओर से अध्यक्ष अथा उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

30. शासी निकाय की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उसे नियम–25 के प्रावधान के अनुसार भरा जाएगा और रिक्ति में नियुक्त व्यक्ति केवल उस सदस्य के कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किर गया हो।

31. शासी निकाय बावजूद इसके कार्य करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने पद के आधार पर सदस्य होने का हकदार है, उसे कुछ समय के लिए शासी निकाय के सदस्य के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता है और निकाय में किसी अन्य रिक्ति के बावजूद, नियुक्ति करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा गैर–नियुक्ति द्वारा या अन्यथा, और शासी निकाय के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल उपरोक्त घटनाओं में से किसी के होने या उसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी कमी के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा।

---

* भारत सरकार, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या एफ–6–30/2002–यू. 3 दिनांक 20.12.2002 के अंतर्गत अनुमोदित।

शासी निकाय की बैठकों की कार्यवाही

32. शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो ऐसी अवस्था में बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी भी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं। विशेष मामलों में अध्यक्ष द्वारा सलाहकार के तौर पर दूसरे व्यक्तियों को किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और वे बैठक में भाग ले सकते हैं मगर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

33. शासी निकाय के पांच सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति शासी निकाय की किसी भी बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या मानी जाएगी।

34. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य को शासी निकाय की प्रत्येक बैठक के बारे में कम से कम 10 स्पष्ट दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इससे अल्पकालीन सूचना देकर भी बैठक बुलाई जा सकती है बशर्ते कि इस बारे में अध्यक्ष तथा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो भी उचित समझें उन्हें अभिलिखित कारण देना होगा।

35. शासी निकाय की बैठक बुलाने वाली प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय और स्थान जहां बैठक आयोजित की जाएगी तथा, इन नियमों में अन्यथा के प्रावधान को छोड़कर, यह सूचना सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी।

36. शासी निकाय एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगा और निकाय की किन्हीं दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ और आगामी कलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा।

37. अध्यक्ष सहित शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि किसी मामले में मतों की समानता होगी तो अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त, मत सुरक्षित होगा।

38. शासी निकाय की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक कोई भी मामला सभी सदस्यों में प्रसारित किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित और अनुमोदित सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संकल्प/प्रस्ताव उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसे कि ऐसा प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया हो बशर्ते कि शासी निकाय के कम से कम पांच सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर अपने बयान दर्ज किए हों।

39. (i) यदि किसी मामले में जैसा कि उल्लिखित है शासी निकाय के सदस्यों के मत विभिन्नता हो तो बहुमत की राय मान्य होगी।

    (ii) अध्यक्ष की राय में कोई भी मामला केंद्र सरकार के निर्णय के लिए आवश्यक हो और इस तरह के संदर्भ को सही ठहराने के लिए पर्याप्त

कारण हो, तो ऐसा निर्णय सोसायटी और शासी निकाय के लिए मान्य होगा।

शासी निकाय के कार्य और उसकी शक्तियां

40. सामान्यतः शासी निकाय का यह कार्य होगा कि वह संगम–ज्ञापन में निर्धारित सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करे।

41. शासी निकाय के पास सोसायटी के सभी मामलों और निधियों का प्रबंधन होगा तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर व्यय संबंधी तय की गई सीमाओं के अंतर्गत सोसायटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा और उसके पास विभिन्न नियुक्तियां करने की शक्ति होगी।

42. (i) शासी निकाय के पास उप–नियम बनाने की शक्ति होगी मगर इसका प्रयोग नियमों और विनियमों के विरुद्ध और उन्हें समय–समय पर सोसायटी के प्रशासनिक और प्रबंधकीय मामलों के लिए संशोधित और निरस्त करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ii) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित मामलों में ये उप–नियम प्रदान बनाए जा सकते हैं–

(क) बजट का आकलन तैयार करना तथा उसकी मंजूरी प्रदान करना, व्यय की स्वीकृति, अनुबंधों का निर्माण और निष्पादन, सोसायटी की निधियों का निवेश और ऐसे निवेश की बिक्री या प्रत्यावर्तन, लेखे तैयार करना तथा उनका लेखा परीक्षण करवाना;

(ख) सलाहकार परिषदों अथवा समितियों, समय–समय पर गठित स्थायी और अन्य उप समितियों की शक्तियों, उनके कार्यों तथा कार्य–संचालन तथा उनके सदस्यों की पदावधि का निर्धारण करना;

(ग) सोसायटी, संस्थान तथा सोसायटी द्वारा स्थापति व अनुरक्षित अन्य संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया;

(घ) सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां, परिलब्धियां, भत्ते, अनुशासन के नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें व कार्यकाल;

(ङ) छात्रवृतियों व अध्येतावृत्तियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन स्कूलों, अनुसंधान योजनाओं व परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें तथा पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना; और

(च) ऐसे अन्य मामले जो सोसायटी के कामकाज के उद्देश्यों तथा उसके उचित प्रशासन को गति प्रदान के लिए आवश्यक हों।

43. इन नियमों और विनियमों और उपनियमों के अधीन, शासी निकाय या कोई भी सदस्य या निकाय जिसे शासी निकाय द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया

जा सकता है, उसे सोसायटी के मामलों के संचालन के लिए सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, बजट प्रावधान के अंतर्गत उनके पारिश्रमिक की राशि तय करने, और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करने की की शक्ति होगी।

44. शासी निकाय के पास भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों या व्यक्तियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर बंदोबस्ती, सहायता अनुदान, दान, या उपहार प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए व्यवस्था करने की शक्ति होगी, बशर्ते कि ऐसे अनुदान की शर्तें –सहायता, दान या उपहार, यदि कोई हो, सोसायटी की प्रकृति या उद्देश्यों या इन नियमों के प्रावधानों के असंगत या उनका विरोधाभासी न हो। हालाँकि, विदेशी सरकारों या संगठनों से किसी भी उपहार या सहायता को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

45. शासी निकाय के पास सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों से पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, संग्रह, अचल संपत्तियों, चंदे या अन्य निधियों को हस्तांतरित करने के इच्छुक किसी भी सहायक दायित्वों और अनुबंधों के साथ अभिग्रहण करने, खरीदने, उपहार या अन्य रूप से प्राप्त करने की शक्ति होगी बशर्ते वह संगम–ज्ञापन में निहित नियमों व प्रावधानों के असंगत न हो। तथापि, विदेशी सरकारों या संगठनों से किसी भी रूप में कोई उपहार और सहायता स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

46. शासी निकाय द्वारा निदेशक या अपने किसी भी सदस्य/या प्राधिकरण अथवा सोसायटी के किसी अधिकारी को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसे वह उन शक्तियों के क्रियान्वयन की सीमाओं के अनुसार उचित समझे।

47. शासी निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित कर निम्नोक्त नियुक्तियां की जा सकती हैं–

(क) शक्तियों के साथ समितियां अथवा उपसमितियां जिन्हें शासी निकाय द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित समझा जाए।

(ख) सलाहकार परिषदें या समितियां जिन्हें शासी निकाय उचित समझे। उनमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिन्हें ऐसे परामर्श कार्यों के लिए सोसायटी का सदस्य होना आवश्यक न हो। विशेष रूप से, नियम–58 के अंतर्गत एक वित्त समिति की नियुक्ति की जाएगी।

शासी निकाय द्वारा किसी भी समय, किसी भी समिति, परिषद या बोर्ड को भंग किया जा सकता है।

अध्यक्ष की शक्तियां

48. अध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा इस तरह के कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन इन नियमों तथा सोसायटी के उप–नियमों एवं शासी निकाय के प्रत्यायोजन के अंतर्गत किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

49. यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष अपनी शक्तियों का शासी निकाय के किसी सदस्य या सोसायटी या संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजन कर सकता है।

निदेशक के कार्य और शक्तियां

50. शासी निकाय द्वारा दिए जा सकने वाले किसी भी निर्देश के अधीन, सोसायटी का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक, शासी निकाय के अध्यक्ष के निर्देशन और मार्गदर्शन में सोसायटी, संस्थान और सोसायटी के विभागों से संबंधित मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा। उपरोक्त के किसी पूर्वाग्रह के बिना निदेशक सोसायटी के लेखों और बजट के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होगा।

51. निदेशक नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के अंतर्गत अपने प्रभार में आने वाले कार्यों का निष्पादन कर सकता है अथवा सोसायटी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों व कर्तव्यों के अनुरूप कार्य सकता है।

52. निदेशक सोसायटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करेगा और आवश्यक होने पर उसे इस तरह के पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग नियमों और उपनियमों के अंतर्गत करना होगा।

53. निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसायटी और संस्थान तथा सोसायटी द्वारा स्थापित अन्य संगठनों के अंतर्गत होने वाले सभी अनुसंधानों, प्रशिक्षणों, पुनश्चर्यों पाठ्यक्रमों/ग्रीष्मकालीन स्कूलों तथा अन्य गतिविधियों का समन्वय तथा सामान्य पर्यवेक्षण करे।

54. निदेशक अपनी शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष के निर्देशन, अधीक्षण तथा नियंत्रण में करेगा।

सोसायटी की निधि

55. भारतीय स्टेट बैंक सोसायटी का बैंकपति/बैंक संचालक होगा। सोसायटी के खाते में सभी प्रकार की धनराशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किया जाएगा और किसी भी राशि का आहरण शासी निकाय द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकार प्राप्त अधिकारियों के हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित बैंक चैक के अलावा नहीं किया जाएगा।

56. संस्थान के शासी निकाय के ऊपर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति सोसायटी का वित्तीय सलाहकार होगा।

57. (क) सोसायटी से जुड़े वित्तीय पहलुओं से संबंधित मामलों को परामर्श के लिए वित्तीय सलाहकार के पास भेजा जाएगा।

(ख) यदि वित्तीय सलाहकार द्वारा किसी भी मामले में दी गई सलाह को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा उक्त मामले को निर्णय के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रेषित किया जाएगा।

58. शासी निकाय द्वारा पांच सदस्यीय एक वित्त समिति नियुक्ति की जाएगी। इन सदस्यों में संस्थान के निदेशक तथा शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार पदेन सदस्य होंगे। वित्त समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा की जाएगी।

59. वित्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) सोसायटी के खातों और बजट अनुमानों की जांच करना और शासी निकाय को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करना;

(ख) प्रमुख कार्यों और खरीद के नए व्यय संबंधी प्रस्तावों पर विचार और शासी निकाय को संस्तुति प्रदान करना। ऐसे मामलों को शासी निकाय द्वारा विचार करने से पूर्व वित्त समिति की राय के लिए भेजा जाएगा;

(ग) पुनर्विनियोग विवरणों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संवीक्षा करना और संस्तुति सहित शासी निकाय को भेजना;

(घ) समय–समय पर सोसायटी के वित्त की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, समवर्ती लेखापरीक्षा कराना; और

(ङ) सोसायटी के कामकाज को प्रभावित करने वाले किसी अन्य वित्तीय प्रश्न के बारे में परामर्श देना तथा शासी निकाय को संस्तुति प्रदान करना।

लेखा और लेखापरीक्षा

60. (क) सोसायटी द्वारा लेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तुलन पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा।

(ख) केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सोसायटी के खातों का वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए किसी भी व्यय का भुगतान सोसायटी द्वारा किया जाएगा।

(ग) लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित सोसायटी के खातों को संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट

61. केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के लिए सोसायटी की कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा सोसायटी के कामकाज की रिपोर्ट शासी निकाय द्वारा तैयार की जाएगी। सोसायटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट का एक मसौदा और वार्षिक खातों का लेखा परीक्षित विवरण सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इसे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

नियमों और विनियमों में संशोधन

62. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के प्रावधानों के अधीन 1860 में, सोसायटी उन उद्देश्यों में परिवर्तन कर सकती है या विस्तार कर सकती है जिनके लिए इसे केंद्र सरकार की पिछली सहमति से स्थापित किया गया है।

63. समिति की किसी भी बैठक जिसे इस उद्देश्य के लिए विधिवत बुलाया गया हो उसमें उपस्थित सोसायटी के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी के उपरांत सोसायटी के नियमों और विनियमों को किसी भी समय बदला जा सकता है।

शासी निकाय के हम निम्नलिखित सदस्य प्रमाणित करते हैं कि सोसायटी के नियमों एवं विनियमों की प्रतिलिपि सही है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री एम.सी. छागला	शिक्षा मंत्री, भारत सरकार	हस्ता./– एम.सी. छागला
2.	डॉ. सी.डी. देशमुख	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	हस्ता./– सी.डी. देशमुख
3.	श्री पी.एन. कृपाल	शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	हस्ता./– प्रेम कृपाल

उपनियम

बजट

1. निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गत वित्त वर्ष की पहली अक्तूबर तक सोसायटी की प्राप्तियों और व्यय का विस्तृत आकलन तैयार किया जाएगा।
2. अनुमोदित योजना पर व्यय जोकि वित्तीय वर्ष के आकलन में सम्मिलित न हो उसे शासी निकाय के अनुमोदन के हिसाब से किया पूरा किया जाएगा।
3. निदेशक द्वारा बजट आकलन को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो इसकी जांच करेगी और उस पर अपनी आवश्यक संस्तुति प्रस्तुत करेगी। बजट आकलनों को वित्त समिति की सिफारिशों के साथ स्वीकृति के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके उपरांत उन आकलनों को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो गत वर्ष के नवंबर के 30वें दिन के बाद नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो सरकार द्वारा अनुमोदित प्राकलनों को संशोधन के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।
4. सोसायटी की निधियों को किसी प्रकार व्यय के लिए विनियोजित नहीं किया जाएगा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों और उपनियमों के तहत स्वीकृत न किया गया हो।
*5. विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ आमतौर पर होंगी–
   (क) अधिकारियों के वेतन और भत्ते;
   (ख) स्थापना के वेतन और भत्ते;
   (ग) अध्येताओं का मानदेय और भत्ते (यात्रा भत्ते आदि);
   (घ) अन्य शुल्क
   (1) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन;
   (2) पुस्तकालय (पुस्तकें, पत्रिकाएं और उपकरण);
   (3) प्रकाशन/मुद्रण;
   (4) विद्वानों को वित्तीय सहायता और अन्य अकादमिक व्यय;
   (5) सोसायटी, शासी निकाय, वित्त समिति और अन्य समितियों की बैठकें;
   (6) आकस्मिकताएं और
   (7) सम्पदा का रखरखाव,

   उसके अधीनस्थ माध्यमिक इकाइयों को आवश्यकता पड़ने पर आरंभ किया जा सकता है। अन्य प्राथमिक इकाइयाँ, जब आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष के अनुमोदन से आरंभ की जा सकती हैं।

---

* दिनांक 24.9.70 को आयोजित शासी निकाय की 24वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रतिस्थापित।

**विभिन्न मदों और योजनाओं के अंतर्गत प्रगतिशील व्यय की सूचना शासी निकाय को उसकी बैठकों में दी जाएगी।

6. निदेशक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय के लिए स्वीकृत प्राकलनों के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि में से उचित धनराशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**7. निदेशक के पास विनियोग की एक इकाई से विनियोग की दूसरी अनुमोदित इकाई के लिए निधियों को पुनः विनियोजित करने की पूर्ण शक्ति होगी बशर्ते कि पुनर्विनियोग 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इस सीमा से अधिक पुनर्विनियोग के लिए अध्यक्ष, वित्त समिति या अध्यक्ष, शासी निकाय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। एक अकादमिक शीर्ष से एक गैर–शैक्षणिक शीर्ष के लिए किसी भी पुनर्विनियोजन के लिए अध्यक्ष, शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए।

8. स्वीकृत बजट प्राकलन धनराशि में से कोई व्यय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना खर्च नहीं किया जाएगा।

9. अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन रहते हुए, निदेशक के पास स्वीकृत बजट में शामिल किसी मद पर व्यय के विवरण को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा, बशर्ते कि यदि किसी मद पर व्यय उसके अधीन निहित शक्तियों से अधिक हो तो वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा। अन्य सभी मामलों के संबंध में, वह भारत सरकार के मंत्रालयों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

**अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, निदेशक द्वारा अध्यक्ष को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए।

10. शासी निकाय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा सचिव, कार्यालय प्रमुख होने के नाते समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

11. स्वीकृत व्यय तब तक अंतिम नहीं माना जाएगा जब तक कि इन उप–नियमों के तहत धन के विनियोग द्वारा सुरक्षित न किया जाए।

12. वर्ष के लिए प्रत्येक इकाई के तहत शुद्ध विनियोग से अधिक व्यय के लिए निदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

13. सोसायटी की निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता हो।

14. सोसायटी की निधियों के सभी निवेश सोसायटी के नाम से किए जाएंगे और ऐसे निवेशों के संबंध में सभी लेन–देन अध्यक्ष के प्राधिकार पर किए

** 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय की 100वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रतिस्थापित।

जाएंगे। उक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सचिव द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सचिव के पास ऐसे सभी दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा होगी।

15. नियम–55 में निर्धारित तरीके से धनराशि आहरित की जाएगी। इस संबंध में चैक बुक निदेशक द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेंगी।

16. सोसायटी के खातों का रखरखाव इस तरह से किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

17. सोसायटी की निधि से सभी प्रकार के भुगतानों के लिए लेखा अधिकारी बैंक चैक जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

इस संदर्भ में निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा–

(क) उन अधिकारियों का वेतन रजिस्टर जिनके वेतन और भत्ते व्यक्तिगत बिलों पर आहरित किए जाते हैं;

(ख) स्थापना वेतन बिल रजिस्टर;

(ग) अनियमित भुगतान से संबंधित आपत्ति पुस्तिका;

(घ) निपटान की प्रतीक्षा में धन राशियों से संबंधित रजिस्टर; तथा

(ङ) वित्तीय और अन्य प्रत्यायोजनों के रजिस्टर।

18. लेखा अधिकारी आपत्ति पुस्तिका में सभी आपत्तियों की प्रविष्टि करेगा जिन्हें वह प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध उठा सकता है। किसी भी भुगतान से पहले, जिस व्यय पर आपत्ति दर्ज की गई है, उस आपत्ति पुस्तिका को सचिव, या निदेशक, जैसा भी उचित हो, को प्रस्तुत किया जाएगा, और सचिव या निदेशक, जैसा भी मामला हो, इस तरह के भुगतान से पूर्व उक्त आपत्ति पर अपने आदेशों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

19. संस्थान के खातों की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा द्वारा की जाएगी और इस तरह की लेखापरीक्षा के संबंध में हुए किसी भी व्यय का भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संस्थान द्वारा किया जाएगा।

20. भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक या संस्थान के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार होंगे जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पास सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशेष रूप से, बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागजात को प्रस्तुत किए जाने की मांग करने का अधिकार होगा।

अनुबंध और मुकदमेबाजी

21. जब तक अन्यथा का प्रावधान न हो, सोसायटी की ओर से सभी अनुबंधों को सचिव द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

22. सभी अनुबंधों के रूपों और सारों को अंततः निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

23. सचिव के पास निदेशक के पूर्वानुमोदन से सोसायटी की ओर से मुकदमे या अन्य कार्यवाही दायर करने और बचाव करने और सोसायटी से संबंधित किसी भी विवाद को लेकर समझौता करने, निपटाने या मध्यस्थता करने की शक्ति होगी।

नियुक्तियां

24. सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा–

(क) अकादमिक कार्य से संबंधित

(ख) प्रशासनिक, मंत्रालयिक, लेखा और तकनीकी और

(ग) अधीनस्थ कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी)।

*25. (क) प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियों की संख्या और अध्येतावृत्तियों के अनुदान के निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण शासी निकाय द्वारा समय–समय पर जारी सरकार के निर्देशानुसार तथा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य शोध संस्थानों में अध्येताओं की परिलब्धियों के संशोधन के आलोक में किया जाएगा।

(ख) अध्येताओं के चयन में दृष्टिकोण की बहुलता होनी चाहिए, जो केवल उन आवेदकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवदेन किया हो। निदेशक और शासी निकाय/सोसायटी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए प्रख्यात विद्वानों के नाम, क्षेत्रीय या उप–क्षेत्रीय आधार पर किए गए प्रयासों के माध्यम से पहचानी गई प्रतिभाओं और सेमिनारों में भाग लेने वालों, जिनकी क्षमता का आकलन किया जा सकता है, उन्हें भी अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है। इन सभी मामलों में, तथापि, अध्येताओं का अंतिम चयन अध्येतावृत्ति निर्णायक समिति/फेलोशिप अवार्ड कमेटी के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें उचित संख्या में बाहरी विशेषज्ञ हों। इस प्रयोजन के लिए, वर्ष की शुरुआत में विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया जाना चाहिए। निदेशक सभी चयन समितियों का अध्यक्ष होना चाहिए और अध्येताओं का चयन

---

* 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय की 100वीं बैठक में अनुमोदन के रूप में संशोधित।

समितियों की सिफारिशों पर शासी निकाय के अनुमोदन के उपरांत होना चाहिए। शासी निकाय के एक प्रस्ताव द्वारा फैलोशिप पुरस्कार स अध्येतावृत्ति निर्णायक समिति/फेलोशिप अवार्ड कमेटी की संरचना को परिभाषित किया जा सकता है।

(ग) शासी निकाय के प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी।

(घ) शासी निकाय द्वारा योजना, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के बारे में परामर्श के लिए एक अकादमिक समिति का गठन किया जा सकता है। निदेशक इस समिति का अध्यक्ष होगा। शासी निकाय के अध्यक्ष के परामर्श से निदेशक द्वारा अकादमिक समिति का गठन किया जा सकता है।

अन्य पद

*26. हटाया गया

*27. हटाया गया

*28. (क) हटाया गया

(ख) हटाया गया

29. फिलहाल आवश्यक संशोधन तक सोसायटी में सेवारत अधिकारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, लागू होंगे।

30. यात्रा भत्ता, छुट्टी, वेतन वृद्धि, वेतन आदि सभी मामलों में, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी ऐसे अन्य नियम और आदेश सोसायटी के पदाधिकारियों पर यथावश्यक लागू होंगे।

31. सोसायटी अपने कर्मकचारियों के लाभ के लिए एक पेंशन निधि का गठन और रखरखाव करेगी।

सामान्य

32. सोसायटी के बेहतर प्रशासन के लिए अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन पर निदेशक और सचिव द्वारा सोसायटी के किसी भी अधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं।

33. सक्षम प्राधिकारियों की सभी स्वीकृतियां और आदेश सचिव के अधीन

---

* 21 सितंबर 1999 को आयोजित शासी निकाय 100 वीं बैठक में अनुमोदन के उपरांत हटा दिया गया।

प्रमाणित होंगे।

34. उप–नियमों में कोई भी परिवर्तन शासी द्वारा किया जा सकता है।

अतिरिक्त प्रावधान

35. प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय मामलों पर वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों और संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष में परस्पर असहमति होने पर निर्णय के लिए मामला भारत सरकार के शिक्षा मंत्री तथा वित्त मंत्री को भेजा जा सकता है।

*36. संगम–ज्ञापन तथा नियम व विनियम तथा में उल्लेखित शब्द 'सचिव (प्रशासन एवं वित्त)' को 'सचिव' के रूप में पढ़ा जाएगा और उनमें आने वाले शब्द 'सचिव (अकादमिक)' को हटा दिया जाएगा।

37. (क) ग्रुप 'ए' के समकक्ष पदों का सृजन शासी निकाय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) के वित्तीय सलाहकार के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ख) ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' के समकक्ष पदों का सृजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) के वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर सचिव, शिक्षा विभाग के अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा किया जा सकता है।

---

* दिनांक 3.4.1996 को शासी निकाय की 88वीं बैठक में अनुमोदन के रूप में प्रतिस्थापित।

CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860,
(PUNJAB AMENDMENT) ACT 1957 AS EXTENDED
TO THE UNION TERRITIORY OF DELHI

No.S.2587, of 1964-1965

I hereby certify that "THE INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY SOCIETY" has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 (Punjab Amendment) Act 1957, as extended to the Union Territory of Delhi.

Given under my hand at Delhi this SIXTH day of OCTOBER one thousand nine hundred and SIXTY-FOUR.

Fee Rs.50.00 paid

Sd/- M. Zubair
REGISTRAR OF SOCIETIES, DELHI

(Seal of Registrar of Societies, Delhi)

CONTENTS

1. Memorandum of Association 38

2. Rules and Regulations 47

3. Bye-Laws 65

THE INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY SOCIETY

In the matter of the Societies Registration Act (Act XXI of 1860) being an Act for the registration of Literary, Scientific and Charitable Societies, and

In the matter of the Indian Institute of Advanced Study Society.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. The name of the Society shall be the Indian Institute of Advanced Study (hereinafter referred to as the Society).
2. The registered office of the Society shall be situated at Shimla.
3. The objects of the Society are:
   (i) To establish, administer and manage the Indian Institute of Advanced Study which shall be a residential centre for free and creative enquiry into fundamental themes and problems of life and thought. The functions of the Institute shall be:
      (a) to promote creative thought in areas which have deep human significance and to provide an environment suitable for academic research. To undertake, organize, guide and promote advanced research in selected subjects in the Humanities, Indian Culture, Comparative Religion, Social Sciences, Natural Sciences and such other areas as the Institute may, from time to time, decide. In selecting these subjects, special attention shall be given to areas of national relevance and wherever possible, before selection appropriate consultations shall be held with concerned Government departments, research organizations etc. An illustrative, but not exhaustive, list indicating the areas of activities, areas of studies and topics for research is given in Appendix I;

(b) to provide facilities for advanced consultation and collaboration and exhaustive library and documentation facilities;

(c) to provide all facilities including financial assistance for advanced study for teachers and other scholars, for specified periods to be determined in each case;

(d) to organize meetings, lectures, symposia and conferences. Every year three seminars will be organized at Shimla, one to expose the outcome of research at the Institute to debate and discussion, another to generate ideas and give directions to the research efforts of the Institute and the third on the theme of National Integration;

(e) to organize and conduct refresher courses, summer schools, and such other courses which are considered necessary by the authorities of the Institute;

(f) to invite scientists and research scholars from India and abroad to deliver lectures or conduct research, and to pay them such remuneration as may be considered suitable;

(g) to start, conduct, print, publish and exhibit any magazines, periodicals, newspapers, books, pamphlets, monographs or posters that may be considered desirable for the promotion of the objects of the Society. Institute will be selective in its publication programme and its publications will be those which will contribute to the development of the identity of the Institute.

(gg) to make arrangements for pooling the results of research, analyzing and adopting them in terms of their social relevance for the public in general and for children, adolescents and youths in particular;

(h) to collaborate with other academic and learned or governmental bodies for the dissemination of knowledge and promotion of the objects of the Society;
(i) to institute an award fellowships, scholarships, studentships and loans, monetary assistance and prizes in accordance with the Rules and Bye-laws;
(j) to levy such fees and other charges as may be prescribed by the Rules and Bye-Laws;
(k) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of scholars, and members of the staff; and
(l) to create academic, administrative, technical ministerial and such other posts, considered necessary by the Institute and to make appointments thereto in accordance with the provisions of the Rules and Bye-laws.

(ii) To take over, with the prior approval of the Central Government, any other Institute or Association, having objects wholly or in part similar to those of the Institute;

(iii) To make Rules and Bye-laws for the conduct of the affairs of the Society and the Institute and to add, amend, vary or repeal them from time to time;

(iv) To obtain or accept grants, subscriptions, donations, gifts, bequests from Governments, Corporations, Trusts or any persons for the purpose of the Society;

(v) To maintain a fund to which shall be credited:
(a) All moneys provided by Central Government;
(b) All fees and other charges received by the Society;
(c) All moneys received by the Society by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and
(d) All moneys received by the Society in any other manner or from any other sources.

(vi) To deposit all moneys credited to the Fund in such banks or to invest in such a manner as the Society may, with the approval of the Central Government, decide;

(vii) To draw, make, accept, endorse and discount cheques, notes or other negotiable instruments and for this purpose, to sign, execute and deliver such assurances and deeds as may be necessary for the purposes of the Society;

(viii) To pay out of the funds belonging to the Society or out of any particular part of such funds, the expenses incurred by the Society from time to time including all expenses incidental to the formation of the Society and management and administration of any of the foregoing objects including all rents, rates, taxes, outgoings and salaries of the employees;

(ix) To maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheets in such form as may be prescribed by the Central Government;

(x) To have the accounts of the Society and the Institute audited in such manner as the Central Government may direct and forward annually to the Central Government the accounts of the Society certified by the auditors in the manner that may be prescribed by the Central Government together with the audit report thereon;

(xi) (a) to establish and maintain Superannuation Schemes for the benefit of the employees of the Society;

(b) to give charitable aid to the teachers, staff and other employees or former employees of the Society or their wives, children or other dependents;

(c) to acquire, hold, dispose of and otherwise deal with property in any manner whatsoever for

the purposes of the Society, provided that the prior approval of the Central Government is obtained in the case of acquisition or disposal of immovable property;

(d) to borrow and raise moneys, with the prior approval of the Central Government, on or without security of any mortgage, charge, hypothecation or pledge over all or any of the immovable properties belonging to the Society or in any other manner whatever for the purposes of the Society;

(e) to build, construct and maintain offices, houses, hostels, schools or other buildings, and alter, extend, improve, repair, enlarge or modify the same including any existing building and to provide and equip the same with light, water, drainage, furniture, fittings, instruments, apparatus and appliances and other things for the use to which such buildings are to be put or held in connection with the objects of the Society; and

(f) to construct or otherwise acquire, layout, repair, extend, alter, enlarge, improve and use any land, recreation or playgrounds, parks or any other immovable property belonging to or held by the Society.

(xii) To constitute committees or sub-committees to carry out the objects of the Society;

(xiii) To delegate any or all of its powers to the Governing Body or to any of the committees or sub-committees constituted by it; and

(xiv) To do all such lawful acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be necessary to further the objects of the Society.

4. (a) All studies and other programmes conducted on behalf of the Society by the Institute or otherwise shall be open to persons of either sex and of whatever race,

religion, creed, caste or class and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting or appointing members, scholars, teachers, workers or in any other connection whatsoever; and

(b) No benefaction shall be accepted by the Society which, in its opinion, involves conditions or obligations opposed to the spirit and objects of the Society.

5. The Central Government may appoint one or more persons to review the work and progress of the Society and the Institute and to hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon, in such manner as the Central Government may stipulate. Upon receipt of any such report, the Central Government may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt in the report and the Society or Institute, as the case may be, shall be bound to comply with such directions.
6. The Central Government may issue such directions to the Society or the Institute as it may consider necessary for the furtherance of the objects of the Society or the Institute and for ensuring their proper and effective functioning.
7. The income and property of the Society howsoever derived, shall be applied towards the promotion of the objects thereof as set forth in this Memorandum of Association, subject to such conditions or limitations as the Central Government may, from time to time, impose. No part of the income and property of the Society shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividends, bonus or otherwise howsoever by way of profit, to the persons who are or at any time have been members of the Society or Governing Body or to any of them or to any persons claiming through them or any of them provided that nothing herein contained shall prevent the payment, in good faith, of remuneration to any member thereof or other person in return for any

services rendered to the Society or for raveling allowance, halting or other similar charges.

8. The names and addresses and occupations of the first members of the Governing Body of the Society to whom by the rules and regulations of the Society the management of its affairs is entrusted are:

Sl. No.	*Name*	*Address*	*Status*
1.	Shri M.C. Chagla	Minister of Education, Government of India	Chairman
2.	Dr. C.D. Deshmukh	Vice-Chancellor, University of Delhi, Delhi	Vice-Chairman
3.	Professor K.G. Saiyidain	320 D-II, Pandara Road, New Delhi	Member
4.	Dr. V. Raghavan	Professor of Sanskrit, Madras University, Madras	Member
5.	Dr. Nagendra	Professor and Head of the Department of Hindi, University of Delhi, Delhi	Member
6.	Shri P.N. Kirpal	Secretary, (Education), Ministry of Education, Government of India, New Delhi	Member

9. A copy of the Rules of the Society, certified to be a correct copy by three members of the Governing Body, is filed alongwith the Memorandum of Association.
10. We, the several persons, whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purpose described in this Memorandum of Association do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association

and set our several respective hands hereunto and form ourselves into a Society Act XXI of 1860 this day of 6th October, 1964.

Sl. No.	*Name, Addresses and Occupations of members*	*Signature of Members*	*Names, addresses and occupations of witnesses*	*Sign. of witnesses*
1.	Shri M.C. Chagla, Minister of Education	Sd/- M.C. Chagla	Shri D.K. Hingorani, Deputy Educational Advisor (Ministry of Education)	Sd/- D.K. Hingorani
2.	Dr. D.S. Kothari, Chairman, University Grants Commission	Sd/- D.S. Kothari	-do-	-do-
3.	Dr. C.D. Deshmukh, Vice-Chancellor Delhi University	Sd/- C.D. Deshmukh	-do-	-do-
4.	Dr. Gopal Singh, Member Rajya Sabha	Sd/- Gopal Singh	-do-	-do-
5.	Dr. A.C. Joshi, Vice-Chancellor Panjab University	Sd/- A.C. Joshi	-do-	-do-
6.	Dr. P.K. Kelkar, Director, Indian Institute of Technology, Kanpur	Sd/- P.K. Kelkar	-do-	-do-
7.	Shri. P.N. Kirpal, Secretary, Ministry of Education	Sd/- Prem Kirpal	-do-	-do-

Appendix-I to Article 3(i)(a) of the Memorandum of Association of the Institute

Areas of Activities

(a) The areas of investigation should be such as would promote inter-disciplinary research;
(b) the themes of research should be those for which the initial facilities required are not too costly;
(c) the areas identified should have deep human significance;
(d) the principle areas should be those in which scholars of eminence can be attracted in the initial stages, both for the purposes of developing the methodological framework for inter-disciplinary research and for ensuring an acceptable quality in output that will encourage extension of such efforts to more areas in future; provided that in selecting the projects, attention should be given to areas of national relevance and whatever possible, appropriate consultations should be held with Government Departments, research Organizations etc. in determining them. Each of these projects should, however, be for a specified period and under no circumstances, the period of such projects should be extended. At the end of each of these projects, there should be a publication setting out the results.

Areas of Studies

(a) Social, Political and Economic Philosophy;
(b) Comparative Indian Literature (including Ancient, Medieval, Modern Folk and Tribal);
(c) Comparative Studies in Philosophy and Religions;
(d) Development of World-Views;
(e) Education, Culture, Arts including performing Arts and Crafts;
(f) Fundamental Concepts and Problems of Logic and Mathematics;
(g) Fundamental Concepts and Problems of Natural and Life Sciences;

(h) Studies in Environment, Natural and Social;
(i) Indian Civilization in the context of Asian Neighbours; and
(j) Problems of Contemporary India in the context of National Integration and Nation-building.

The following topics may receive special attention:
(a) Theme of Indian Unity in Diversity;
(b) Integrality of Indian Consciousness;
(c) Philosophy of Education in the Indian Perspective;
(d) Advanced Concepts in Natural Sciences and their Philosophical Implications;
(e) Indian and Asian Contribution to the Synthesis of Science and Spirituality;
(f) Indian and Human Unity;
(g) A Companion to Indian Literature;
(h) A Comparative Study of Indian Epics; and
(i) Human Environment.

RULES AND REGULATIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY SOCIETY

1. **Short Title:** These Rules and Regulations may be called **Rules of the Indian Institute of Advanced Study Society.**
2. **Definitions**: In these Rules, unless the context otherwise requires:
   (i) The **Society** means the Indian Institute of Advanced Study Society;
   (ii) The **Governing Body** shall mean the body which is constituted as such under rule 25 as the Governing Body of the Institute;
   (iii) The **Institute** shall mean the Indian Institute of Advanced Study;
   (iv) The **President** shall mean the President of the Society; **Vice-President** shall mean the Vice-President of the Society;
   (v) The **Chairman** shall mean the Chairman of the

Governing Body; the **Vice-Chairman** shall mean the Vice-Chairman of the Governing Body;

(vi) The **Director** shall mean the Director of the said Indian Institute of Advanced Study;

(vii) The **Secretary** shall mean the Secretary of the Indian Institute of Advanced Study.

3. (a) The Society shall consist of the following institutional members (Ex-Officio);

(i) Education Secretary;

(ii) Expenditure Secretary;

(iii) Education Adviser, In-charge of Higher Education;

(iv) Chairman, University Grants Commission;

(v) Director-General, Council of Scientific and Industrial Research;

(vi) Chairman of the Indian Council of Social Science Research;

(vii) Chairman of the Indian Council of Historical Research;

(viii) Chairman of the Indian Council of Philosophical Research;

(ix) Chairman, National Book Trust;

(x) Chairman, Sahitya Akademi;

(xi) Chairman, Sangeet Natak Akademi;

(xii) Chairman, Lalit Kala Akademi;

(xiii) Chairman, Indian National Science Academy;

(xiv) One of the Vice-President of the Indian Council of Cultural Relations;

(xv) Chairman of the Association of Indian Universities;

(xvi) Director, National Library;

(xvii) Director, National Archives; and

(xviii) Chief Secretary of the State, in which the Institute is located, or his authorised representative.

(b) Nominated Members

(i) Six Vice-Chancellors of Indian Universities, nominated by the Central Government; and

(ii) 18 to 24 Educationists and those who are eminent

in the fields of learning, culture and science, nominated by the Central Government.

(c) Representatives of the Institute

(i) Director;

(ii) All Fellows for the time being in position;

(iii) All distinguished Guests for the time being in position; and

(iv) The President and the Vice-President of the Society shall be nominated by the Central Government from among the members of the Society.

4. Should any member of the Society other than one who is appointed as such under Rule 3(b) and 3(c) be prevented from attending any meeting of the Society, or any of its bodies or Committees, he shall be at liberty to appoint and authorize a representative to take his place at the meeting of the Society and such representative shall have all the rights and privileges of a member of the Society including the right to vote at the meeting.
5. The Society shall keep a roll of members and every member of the Society shall sign the roll and state therein his name, occupation and address.
6. If a member of the Society changes his address, he shall notify his new address to the Secretary who shall thereupon enter his new address in the Roll of Members. But if he fails to notify his new address, the address in the Roll of Members shall be deemed to be his address.
7. Where a person becomes a member of the Society by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Society shall terminate when he ceases to hold that office or appointment. Other members shall hold office for three years. All outgoing members shall be eligible for re-appointment.

[*](a) The Society on completion of its three years term

[*] Approved by the Government of India, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development vide letter No.F-6-30/2002-U.3 dated 20.12.2002.

will continue to function pending re-constitution of a new Society by the Government of India.

8. A member of the Society shall cease to be a member if:
   (a) he dies, resigns, becomes of unsound mind, becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude; or
   (b) he does not attend three consecutive meetings of the Society without leave of the President; or
   (c) any member, other than the Director accepts a full time appointment in the Institute; or
   (d) the authority which chose him terminates his membership.

9. (a) A resignation of membership of the Society shall be tendered to the Secretary and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Society by the President or the Vice-President. Any vacancy in the membership of the Society caused by any of the reasons mentioned above shall be filled in accordance with the provisions of Rule 3 and the person appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of term of the membership.

   (b) The President/Vice-President may resign his office by a letter addressed to the Central Government and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Government.

10. The Society shall function notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members, and no act or proceeding of the Society shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of its members.

AUTHORITIES OF THE SOCIETY

11. The following shall be the Authorities of the Society:
   (i) The Governing Body;

(ii) The Chairman of the Governing Body;
(iii) The Vice-Chairman of the Governing Body;
(iv) The Director;
(v) The Secretary, who shall be the Secretary of the Society and will assist the Director in his administrative functions,
(vi) Such other authorities as may be constituted as such by the Governing Body.

12. The Director shall be the Principal Executive Officer of the Society and the Institute.
13. Apart from the Director, the Secretary and such other officers as may be appointed from time to time by the authority competent to make the appointments shall be officers of the Society.
14. *(**a) Procedure for the appointment of Director**

(i) The Director shall be appointed by the Governing Body after obtaining approval of the Central Government. The selection of Director will be by Search-cum-Selection Committee, the composition of which shall be as under:
   a) Chairperson, IIAS
   b) One ex-officio Member of the Governing Body of the category No. 25(a)(iv) nominated by the Governing Body.
   c) One Member of the Society in the category No. 3(b)(ii) nominated by the Governing Body.
   d) One Member of eminence as an outside expert to be nominated by the Central Government.
   e) One representative of the Government not below the rank of Secretary to GoI.

   The Chairperson of the Search-cum-Selection Committee shall be as per Government approval. The Committee will prepare a panel of three

* Approved by the Government of India, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (Presently Ministry of Education) vide letter No. F.No.6-6/2014-U.3 dated 22nd April 2016.

names and submit it to the Central Government. The Government will approve one of the names recommended in the panel or ask for a fresh panel from the Selection Committee.

The process of selection of Director will start six month in advance from the date of occurrence of vacancy. In case of sudden vacancy, the process will start within a month from occurrence of vacancy. The process will start with IIAS sending the representatives of Society and the Governing Body to the Government for formation of Search Committee.

In case the position of Director falls vacant, the additional charge to any officer of IIAS or to any other officer shall be given with the approval of the Government.

(ii) The term of the office of the Director should be three years which could be renewed once for another term of three year, provided that he/she shall retire on attending the age of sixty five years.

(b) *Procedure of the appointment of Secretary

The Secretary shall be appointed by the Governing Body after obtaining approval of the Central Government. The selection of Secretary will be by Search-cum-Selection Committee, the composition of which shall be as under:

a) Director, IIAS
b) Two Members as outside expert to be nominated by the Central Government.
c) One Member of the Governing Body, IIAS to be nominated by Governing Body.
d) One representative of the Government not below the rank of Additional Secretary.

---

* Approved by the Government of India, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development (Presently Ministry of Education) vide letter No. F.No.6-6/2014-U.3 dated 22nd April 2016.

e) The Chairperson of the Search-cum-Selection Committee shall be as per Government approval.

The Committee will prepare a panel of three names and submit it to the Chairperson of Governing Body who will forward it to Central Government. The Government will approve one of the names recommended in the panel or ask for a fresh panel from Search-cum-Selection Committee.

The process of selection of Secretary will start six month in advance from the date of occurrence of vacancy. In case of sudden vacancy, the process will start within a month from occurrence of vacancy. The process will start with IIAS sending the representative of the Governing Body to the Government for formation of Search Committee.

In case the position of Secretary falls vacant, the additional charge to any officer of IIAS or to any other officer shall be given with the approval of the Government.

(c) The above-mentioned officers shall be appointed by the Governing Body with the prior approval of the Central Government on such terms and conditions as may be determined from time to time.

15. The office of the Society shall be at Rashtrapati Nivas, Shimla.

PROCEEDINGS OF THE SOCIETY

16. (i) The Annual General Meeting of the Society shall be held at such time, date and place as may be determined by the President.

(ii) The President or, in his absence, the Vice-President shall call a meeting of the Society whenever he thinks fit.

(iii) The President or, in his absence, the Vice-President shall call a meeting of the Society upon a written

requisition not less than twelve members specifying the object for which the meeting is to be called.

17. Except as otherwise provided in these Rules, all meetings of the Society shall be called by notice under the signature of the Secretary.
18. Every notice calling a meeting of the Society shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall be served upon every member of the Society not less than twenty-one clear days before the day appointed for the meeting. Provided that the President or, in his absence, the Vice-President may; for reasons to be recorded, call a special meeting on such shorter notice as he may think fit.
19. Every meeting of the Society shall be presided over by the President, in his absence, by the Vice-President and in the absence of both by a member chosen by the members present at the meeting to preside for the occasion.
20. Twenty members of the Society present in person or by authorized representative under Rule 4 above shall form quorum at every meeting of the Society.
21. (a) All disputed questions shall be determined by vote. Every member of the Society including the member presiding, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Society, the member presiding shall have an additional or casting vote.

    (b) Any business necessary for the Society to transact may be carried out by circulation amongst all the members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Society; provided that at least twelve members of the Society have recorded their views on the resolution.
22. The Secretary shall keep a record of the proceeding of the Society and a copy thereof shall be sent to the Central Government and the University Grants Commission.

23. A notice may be served upon any member of the Society either personally or by post in an envelope addressed to such member at his address in the roll of members.
24. Any notice so served by post shall be deemed to have been served two days after the day following that on which the letter, envelope or wrapper containing the same is posted and in proving such service it shall be sufficient to prove that the cover containing such notice was properly addressed and put into the post office.

GOVERNING BODY

25. (a) Subject to the Rules and Regulation and Bye-laws and orders of the Society, the affairs of the Society shall be administered, directed and controlled by a Governing Body. The Governing Body of the Society for the purposes of Act XXI of 1860 shall consist of the following:
    (i) A Chairman who is an eminent scholar nominated by the Central Government;
    (ii) The Director of the Institute;
    (iii) A representative each of the Ministry of Education and Ministry of Finance, not below the rank of a Joint Secretary
    (iv) Five Institutional members who are:
        (a) Chairman, UGC
        (b) Chairman, ICSSR
        (c) Chairman, ICPR
        (d) Director-General, CSIR
        (e) Chairman, ICHR

        These institutional members may be represented at the meetings by their nominees.
    (v) Two Vice-Chancellors, from category 3(b) (i) of the members of the Society nominated by the Central Government.
    (vi) (a) Four persons from category 3(b) (ii) of the members of the Society nominated by the Central Government.
        (b) The Vice-Chairman of the Government Body

shall be nominated by the Central Government from among the members of the Governing Body.

26. The Secretary shall be the non-member Secretary of the Governing Body.
27. Subject as hereinafter provided, the term of office of the members shall be three years at a time.
    *(a) The Governing Body on completion of its three years term will continue to function pending re-constitution of a new Governing Body by the Government of India.
28. A member of the Governing Body shall cease to be a member if:
    (a) he dies, resigns, becomes of unsound mind, becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude; or
    (b) he does not attend three consecutive meetings of the Governing Body without proper leave of the Chairman or Vice-Chairman; or
    (c) being a member nominated from among the Society, he ceases to be a member of the Society; or
    (d) being a member by reason of the office or appointment he holds, ceases to hold that office or appointment.
29. A resignation of membership of the Governing Body shall be tendered to the Secretary in writing and shall not take effect until it has been accepted on behalf of the Institute by the President or the Vice-President.
30. Any vacancy in the membership of the Governing Body shall be filed up in accordance with the provision of Rule 25 and the person appointed in the vacancy shall hold office only for the unexpired period of the term of the member in whose place he is appointed.

---

* Approved by the Government of India, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development vide letter no. F-6-30/2002-U.3 dated 20.12.2002

31. The Governing Body shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by virtue of his office is not invited as a member of the Governing Body for the time being and notwithstanding any other vacancy in its body whether by the non-appointment by the authority entitled to make the appointment or otherwise, and no act or proceedings of the Governing Body shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or of any defects in the appointment of any of its members.

PROCEEDINGS OF THE GOVERNING BODY

32. Every meeting of the Governing Body shall be presided over by the Chairman, in his absence, by the Vice-Chairman, and in the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, by a member chosen by the members present at the meeting to preside for the occasion. The Chairman may, in special cases, invite persons to attend any meeting in an advisory capacity and they may attend and participate in the meeting. They shall not, however, have the right to vote.
33. Five members of the Governing Body present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Governing Body.
34. Not less than 10 clear days notice of every meeting of the Governing Body shall be given to each member of the Governing Body, provided that the Chairman and in his absence the Vice-Chairman may for reasons to be recorded call a meeting on such shorter notices as he may think fit.
35. Every notice calling a meeting of the Governing Body shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall, except as otherwise provided in these Rules, be under the signature of the Secretary.
36. The Governing Body shall hold at least four meetings in a year and not more than four months shall elapse

between any two meetings of the Body.

For the purpose of the Rule each year shall be deemed to commence on the 1st day of April and terminate on the 31st day of March of the following calendar year.

37. Each member of the Governing Body including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question the Chairman shall, in addition, have a casting vote.
38. Any business necessary for the Governing Body to transact may be carried out by the circulation amongst all the members and any Resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such Resolution had been passed at a meeting of the Governing Body provided that at least five members of the Governing Body have recorded their views on the Resolution.
39. (i) Subject as herein mentioned in case of a difference of opinion amongst the members of the Governing Body, the opinion of the majority shall prevail.
    (ii) The Chairman may refer any question, which in his opinion is of sufficient importance to justify such a reference, for the decision of the Central Government and such decision shall be binding on the Society and its Governing Body.

FUNCTIONS AND POWERS OF THE GOVERNING BODY

40. It shall be the function of the Governing Body generally to carry out the objects of the Society as set forth in the Memorandum of Association.
41. The Governing Body shall have the management of all the affairs and funds of the Society and shall have authority to exercise all the powers of the Society subject nevertheless, in respect of expenditure to such limitations as the Government of India may from time

to time impose and shall have the powers to make appointments.

42. (i) The Governing Body shall have power to frame Bye-laws not inconsistent with these Rules and Regulations and to alter, amend and repeal them from time to time for the administration and management of the affairs of the Society.

(ii) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such sub Bye-laws may provide for the following matters:

(a) The preparation and sanction of budget estimates, the sanctioning of expenditure, making and execution of contracts, the investment of the funds of the Society and the sale or alternation of such investment, and account and audit;

(b) Powers, functions and conduct of business by Advisory Boards or Committees, Standing and other Sub-Committees as may be constituted from time to time, and the term of office of their members;

(c) Procedure for appointment of the officers and the staff of the Society, the Institute and other organizations established and maintained by the Society;

(d) The terms and tenure of appointments, emoluments, allowances, rules and discipline and other conditions of service of the officers and staff of the Society;

(e) Terms and conditions governing Scholarships and Fellowships, Refresher Courses/Summer Schools, Research Schemes and Projects, and establishment of a library and laboratories; and

(f) Such other matters as may be necessary for the furtherance of the objects and the proper administration of the affairs of the Society.

43. Subject to these Rules and Regulations and Bye-laws, the Governing Body or any person or body whom the Governing Body may authorise in this behalf shall have the power to appoint all categories of officers and staff for conducting the affairs of the Society, to fix the amount of their remuneration subject to budget provision, and to define their duties.
44. The Governing Body shall have the power to enter into arrangement with the Government of India, State Governments and other public or private organizations or individuals for securing and accepting endowments, grants-in-aid, donations or gifts to the Society on mutually agreed terms and conditions, provided that the conditions of such grants-in-aid, donations or gifts, if any, shall not be inconsistent or in conflict with the nature or objects of the Society or with the provisions of these Rules. However, prior approval of the Government of India should be obtained for accepting any gift or assistance in any form from foreign Governments or organizations.
45. The Governing Body shall have the power to take over and acquire by purchase, gift or otherwise, from Government and other public bodies or private individuals willing to transfer to same libraries, laboratories, museums, collections, immovable properties, endowments or other funds together with any attendent obligations and engagements not inconsistent with the objects stated in the Memorandum of Association and the provisions of these Rules. However, prior approval of the Government of India should be obtained for accepting any gift and assistance in any form from foreign Governments or organizations.
46. The Governing Body may delegate to the Director or any of its members and /or any other authority or officer of the Society such administrative and financial powers and impose such duties as it deems proper and prescribe limitations within which these powers are to be exercised.

47. The Governing Body may by Resolution appoint:
(a) Committees or Sub-Committees for such purposes and with such powers as the Governing Body may think proper;
(b) Advisory Boards or Committees consisting of persons who need not be members of the Society with such advisory functions as the Governing Body may think proper.

In particular, it shall appoint a Finance Committee as provided in Rule 58.

The Governing Body may dissolve any of the Committees, Councils or Boards at any time.

POWERS OF THE CHAIRMAN

48. The Chairman shall exercise such powers and carry out such functions and duties as may be assigned to him under these Rules and under the Bye-Laws of the Society or under delegations of the Governing Body. The action taken by the Chairman shall be reported for information at the next meeting of the Governing Body.
49. The Chairman may, in writing, delegate such of the powers as may be necessary, to any other member of the Governing Body or any other officer or authority of the Society or the Institute.

FUNCTIONS AND POWERS OF THE DIRECTOR

50. Subject to any directions that may be given by the Governing Body, the Director as the principal executive Officer of the Society shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Society, the Institute and Departments of the Society under the direction and guidance of the Chairman of the Governing Body. Without prejudice to the above, the Director shall also be responsible for the preparation of the accounts and the budget of the Society.

51. The Director shall, in all matters under his charge, have the powers and duties assigned to him in these Rules and Regulations and the Bye-Laws that may be frames or such powers and duties as may be delegated to him by the Society or the Governing Body.
52. The Director shall prescribe the duties of all officers and staff of the Society and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary, subject to these Rules and the Bye-Laws.
53. It shall be the duty of the Director to coordinate and exercise general supervision over all Research, Training, Refresher Courses/Summer Schools and other activities under the Society and the Institute and other organizations set up by the Society.
54. The Director shall exercise his powers under the direction, superintendence and control of the Chairman.

FUNDS OF THE SOCIETY

55. The Bankers of the Society shall be the State Bank of India. All funds shall be paid into the Society's account with the State Bank of India and shall not be withdrawn except through a cheque signed and countersigned by such officers as may be duly empowered in this behalf by the Governing Body.
56. The person appointed by the Government representing the Ministry of Finance on the Governing Body of the Institute shall be the Financial Adviser to the Society.
57. (a) Matters concerning the financial aspects of the affairs of the Society shall be referred to the Financial Adviser for advice.
    (b) If the advice tendered by the Financial Adviser on any matter referred to him is not accepted, the issue will be referred to the Central Government by the Chairman for decision.
58. The Governing Body shall appoint a Finance Committee consisting of five members of whom the Director and

the Financial Adviser to the Ministry of Education shall be ex-officio members. The Chairman of the Finance Committee shall be appointed by the Governing Body.

59. The Finance Committee shall have the following duties:
    (i) to scrutinize the accounts and budget estimates of the Society and to make recommendations to the Governing Body;
    (ii) to consider and make recommendations to the Governing Body on proposal; for new expenditure on account of major works and purchases which shall be referred to the Finance Committee for opinion before they are considered by the Governing Body;
    (iii) to scrutinize re-appropriation statements and audit notes and make recommendations thereon to the Governing Body;
    (iv) to review the finance of the Society from time to time and have concurrent audit conducted wherever necessary; and
    (v) to give advice and make recommendations to the Governing Body on any other Financial questions affecting the affairs of the Society.

ACCOUNTS AND AUDIT

60. (i) The Society shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed by the Central Government
    (ii) The accounts of the Society shall be audited annually in such manner as the Central Government may direct and any expenditure incurred in connection with the audit of the accounts of the Society shall be payable by the Society.
    (iii) The accounts of the Society as certified by the Auditors together with the Audit Report thereon

shall be forwarded annually to the Central Government.

ANNUAL REPORT

61. The Annual Report of the proceedings of the Society and the working of the Society shall be prepared by the Governing Body for the information of the Central Government, University Grants Commission and the members of the Society. A draft of the Annual Report and the audited statement of yearly accounts together with the audit report of the Society shall be placed at the Annual General Meeting of the Society for its consideration and approval. Thereafter the same shall be sent to the Ministry of Education for being placed before both the Houses of the Parliament within nine months of the close of the accounting year.

AMENDMENT TO RULES AND REGULATIONS

62. Subject to the provisions of the Societies Registration Act XXI of 1860, the Society may alter or extend the purposes for which it is established with the previous concurrence of the Central Government.
63. The Rules and Regulations of the Society may be altered at any time with the sanction of the Central Government by a Resolution passed by a majority of the members of the Society present at any meeting of the Society which shall have been duly convened for the purpose.
64. We the following members of the Governing Body, certify that the above is correct copy of the Rules and Regulations of the Society.

Sl.No.	*Name*	*Designation*	*Signature*
1.	Shri M.C. Chagla	Minister of Education, Government of India	Sd/- M.C. Chagla
2.	Dr. C.D. Deshmukh	Vice-Chancellor, University of Delhi, Delhi	Sd/- C.D. Deshmukh
3.	Shri P.N. Kirpal	Secretary (Education), Ministry of Education, Government of India, New Delhi	Sd/- Prem Kirpal

BYE-LAWS

BUDGET

1. The Director shall prepare detailed estimates of the receipts and expenditure of the Society for each financial year not later than the 1st day of October of the preceding year.
2. Expenditure on approved scheme not included in the estimates for a financial year shall be met in such manner as may be approved by the Governing Body.
3. The Director shall submit the Budget Estimates to the Finance Committee, who shall scrutinize the same and make such recommendations as are considered necessary. The Budget Estimates together with the recommendations of the Finance Committee shall be submitted to the Governing Body for sanction. The Estimates shall thereafter be submitted to the Government of India for approval, not later than the 30th day of November of the preceding year. *The estimates approved by the Government shall be placed before the Finance Committee to make revision, if required.
4. The funds of the Society shall not be appropriated for any

expenditure not approved by the Competent Authority under the rules and the Bye-Laws.

*5. The primary units of appropriation will ordinarily be:

(i) Pay and allowances of Officers;
(ii) Pay and allowances of Establishment;
(iii) Honoraria and Allowances (T.A. etc.) of Fellows;
(iv) Other Charges
  (a) Seminars/Workshops/Conferences;
  (b) Library/(books, periodicals and equipments);
  (c) Publication/printing;
  (d) Financial assistance to scholars and other academic expenditure;
  (e) Meetings of the Society, Governing Body, Finance Committee and other Committees;
(v) Contingencies; and
(vi) Maintenance of Estate,

Secondary units subordinate thereto may be opened as and when required. Other primary units may be opened when considered necessary, with the approval of the Chairman. **The progressive expenditure under different heads and schemes will be reported to the Governing Body in its meetings.

6. The Director shall have full powers to appropriate sums from the funds provided in the sanctioned estimates to meet expenditure on items approved by the Competent Authority.

**7. The Director shall have full powers to re-appropriate funds from one unit of appropriation to another approved unit of appropriation provided that the re-appropriation should not exceed Rs.1.00 lakh. For re-appropriation beyond this limit, prior approval of the Chairman, Finance Committee, or the Chairman, Governing

---

* Substituted as approved by the Governing Body in its 24th meeting held on 24th September 1970

** Substituted as approved by the Governing Body in its 100th meeting held on 21st September 1999

Body, shall be necessary. Any re-appropriation from an academic head to a non-academic head should have the prior approval of the Chairman, Governing Body.

8. No expenditure from the funds provided in the sanctioned budget estimates shall be incurred without the sanction of the Competent Authority.
9. Subject to the general superintendence of the Chairman, the Director shall have full powers to sanction details of expenditure on any item included in the sanctioned budget, provided that, if the expenditure on any item exceeds the powers vested in him hereunder, he shall obtain the sanction of the Competent Authority. In respect of all other matters, he shall exercise the powers delegated to the Ministries of the Government of India.
   *For the general superintendence of the Chairman to be effective, the Director should keep him duly informed.
10. The Secretary shall exercise all the powers of a Head of office as prescribed by the Government of India from time to time besides powers vested in him by the Governing Body.
11. An expenditure sanctioned shall not become final until it is covered by an appropriation of funds under these Bye-Laws.
12. Expenditure in excess of the net appropriation for the year under each unit shall require the sanction of the Director.
13. The Funds of the Society shall be invested in such manner as may be prescribed by the Government of India.
14. All investments of the funds of the Society shall be made in the name of the Society and all transactions in respect of such investments shall be effected on the authority of the Chairman. All documents necessary for said purposes shall be executed by the Secretary with the prior approval

* Substituted as approved by the Governing Body in its 100th meeting held on 21st September 1999

of the Chairman. The Secretary shall have safe custody of all such documents.

15. Funds will be drawn in the manner laid down in Rule 55. Cheque books will remain in the personal custody of an Officer authorized by the Director in this behalf.
16. The accounts of the Society shall be maintained in such a form as may be prescribed by the Government of India.
17. The Accounts Officer shall apply a check to all payments from the funds of the Society. The following registers shall be maintained:
    (i) Pay Register of officers whose Pay and Allowances are drawn on individual bills;
    (ii) Establishment Pay Bill Register;
    (iii) Objection Book relating to irregular payments;
    (iv) Register of amounts awaiting settlement; and
    (v) Register of financial and other delegations.
18. In the Objection Book, the Accounts Officer shall enter all objections which he may raise against proposed expenditure. The Book will be submitted to the Secretary, or the Director, as the case may be, before any payment to which an objection has been recorded therein is made, and the Secretary or the Director as the case may be shall record in writing his orders on the objection before such payment is made.
19. The accounts of the Institute shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or by any person authorized by him in this behalf and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Institute to the Comptroller and Auditor General of India.
20. The Comptroller and Auditor General of India and/ or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Institute shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the

production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

CONTRACTS AND LITIGATION

21. Unless otherwise provided, all contracts shall be executed on behalf of the Society by the Secretary.
22. The Director shall finally approve the form and substances of all contracts.
23. With the prior approval of the Director, the Secretary shall have the power to file and defend suits or other proceedings on behalf of the Society and shall have power to compromise, settle or refer to arbitration any dispute relating to the Society.

APPOINTMENTS

24. The officers and staff of the Society shall be grouped in the following categories:
    (i) Those engaged in academic works;
    (ii) Administrative, ministerial, accounts and technical; and
    (iii) Subordinate staff (Class IV)

*25. (a) The number of Fellowships to be awarded each year and the terms and conditions of grants of Fellowships will be determined by the Governing Body according to the instructions contained in the directives of the Government issued from time to time and in the light of revision of emoluments of Fellows in other research organizations of the Ministry of Human Resource Development.

(b) There should be a multiplicity of approach in the selection of Fellows, which need not be restricted only to the applicants, who respond to

* Ammended as approved by the Governing Body in its 100th meeting held on 21st September 1999

advertisements. Names of the eminent scholars suggested by the Director and Members of the Governing Body/Society, talents identified through efforts made on a regional or sub-regional basis, and participants in seminars, whose potentialities could be assessed, may also be considered for award of Fellowships. In all these cases, however, the final selection of Fellows should be through a Fellowship Award Committee which should have an appropriate number of outside Experts. For this purpose, a panel of Experts should be drawn up at the beginning of the year. The Director should be the Chairman of all the Selection Committees and the recommendations of the Selection Committees should be subject to the approval of the Governing Body. The Governing Body may define the composition of the Fellowship Award Committee by a resolution.

(c) National Fellowships shall be awarded as per the resolutions of the Governing Body.

(d) The Governing Body may constitute an Academic Committee to advise on the planning, research and other academic programmes. The Director shall be its Chairman. The Academic Committee may be constituted by the Director in consultation with the Chairman, Governing Body.

OTHER POSTS

*26. Deleted

*27. Deleted

*28. (a) Deleted

(b) Deleted

29. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Central Civil Services

* Deleted as approved by the Governing Body in its 100th meeting held on 21st September 1999.

(Temporary Service) Rules, 1965, and the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 from the time being in force, shall apply, so far as may be, to the officers in the service of the Society, subject to necessary modifications.

30. In regard to all matter such as T.A, Leave, increments, pay etc., the Fundamental and Supplementary Rules framed by the Government of India and such other rules and orders issued by the Government of India from time to time will apply mutatis mutandis to the officers of the Society.
31. The Society shall constitute and maintain a Pension Fund for the benefit of its employees.

GENERAL

32. With the approval of the Chairman, the Director and Secretary may delegate such powers, as they may consider necessary for the better administration of the Society, to any other officer of the Society.
33. All sanctions and orders of competent authorities shall be authenticated under the hand of the Secretary.
34. Any alteration in the Bye-laws may be made by the Governing Body.

ADDITIONAL PROVISIONS

35. In the event of disagreement between representatives of the Ministry of Finance and the Chairman, Governing Body of the Institute on the Financial matters beyond the delegated powers of the Ministry/Department of the Government of India, the matter may be referred to the Minister of Education and the Finance Minister for a decision.

*36.The word "Secretary (Administration & Finance)"

* Substituted as approved by the Governing Body in its 88th meeting held on 3.4.1996.

appearing in the "Memorandum of Association and Rules and Regulations and Bye-Laws" shall be read as "Secretary" and the word "Secretary (Academic)" appearing in it shall be deleted.

37. Posts equivalent to Group 'A' may be created by the Governing Body with the approval of Ministry of Finance through the Financial Adviser of the Ministry of Human Resource Development (Presently Ministry of Education).

(ii) Posts equivalent to Group 'B', 'C' and 'D' may be created by the Governing Body with the approval of the Secretary, Department of Education, in consultation with the Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development (Presently Ministry of Education).